देवीलाल बनाम किरणदेवी वगैरह
मुकदमा नम्बर 010/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थीः–

देवीलाल पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी ग्राम भांवता तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. किरणदेवी पुत्री गिरधारीराम
2. गजेन्द्र पुत्र गिरधारीराम (नाबालिग संरक्षक माता बिमलादेवी)
3. सिमरनदेवी पुत्री गिरधारीराम(नाबालिग संरक्षक माता बिमलादेवी)
4. बिमलादेवी पत्नि गिरधारीराम
5. सुनितादेवी पुत्री गिरधारीराम
6. अंकिता पुत्री बलदेवाराम (नाबालिग संरक्षक माता सन्तोषदेवी)
7. आयुष पुत्र बलदेवाराम (नाबालिग संरक्षक माता सन्तोषदेवी)
8. पुजा पुत्री बलदेवाराम (नाबालिग संरक्षक माता सन्तोषदेवी)
9. सन्तोषदेवी पत्नि बलदेवाराम
10. गोमाराम पुत्र प्रभुराम
11. देबुराम पुत्र प्रभुराम
12. पोकरराम पुत्र प्रभुराम
13. भोपालराम पुत्र प्रभुराम
14. मोहनीदेवी पत्नि प्रभुराम सभी जाति जाट निवासीया भांवता तहसील नावां।
15. शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा कुचामन सिटी।
16. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता प्रार्थी
श्री आनन्दीलाल गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 14

मुकदमा नम्बरः– 010/2023 निर्णय दिनांक : 06.10.2023

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता तहसील नावां की [illegible] में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 137 रकबा 1.29 हैक्टर भूमि में प्रार्थी की 1/8 [illegible] चली आ रही है। प्रार्थी को अपनी भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 137 रकबा 1.29 [illegible] भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1414/1118 [illegible] 0.10 हैक्टर गै.मु. [illegible] चाहा है। चाहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:05:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

गया रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता हैं जो मौके पर चालू है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 137 रकबा 1.29 हैक्टर भूमि में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1414/118 रकबा 0.10 हैक्टर गै.मु. रास्ता भूमि को राजकीय कटाणी रास्ता घोषित कर प्रार्थी को रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया एवं भू.अ. निरीक्षक मीठड़ी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी संख्या 15 का नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाने एवं अप्रार्थी संख्या 16 का तामील सुदा नोटिस प्राप्त होने के वावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल गुर्जर ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 137 रकबा 1.29 हैक्टर भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1414/118 रकबा 0.10 हैक्टर गै.मु. रास्ता चाहा है। चाहा गया रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता हैं जो मौके पर चालू है। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को राजकीय कटाणी रास्ता घोषित कर दिया जाता है तो उत्तरदातागण/अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं हैं तथा उत्तरदातागण/अप्रार्थीगण उक्त रास्ता भूमि की ऐवज में कोई मुआवजा राशि या भूमि के बदले भूमि नहीं लेना चाहते है। ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1414/118 रकबा 0.10 हैक्टर गै.मु. रास्ता भूमि को राजकीय कटाणी रास्ता घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान करते है। भू.अ. निरीक्षक मीठड़ी ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 137 में अन्य कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी देवीलाल खसरा नम्बर 1414/118 रकबा 0.10 गै.मु. रास्ता को सरकारी खाते में दर्ज करवाना चाहता है ताकि उक्त रास्ते का उपयोग खसरा नम्बर 137 में आने जाने हेतु काम में लिया जा सके। उक्त खसरे के अलावा अन्य कोई कटाणी रास्ता प्रार्थी की भूमि के नहीं लगता है। मांग किया गया रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है। अतः खसरा नम्बर 1414/118 को सरकारी रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण के इकबाली जवाब का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 137 रकबा 1.29 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 की भूमि राजस्व ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1414/118 रकबा 0.10 हैक्टर गै.मु. रास्ता भूमि को राजकीय कटाणी रास्ता घोषित करवाना चाहते है। उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 ने इकलाबी जवाब पेश कर सहमति दी है तथा उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:05:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

देवीलाल बनाम किरणदेवी वगैरह
मुकदमा नम्बर 010/2023

संख्या 1 ता 14 किसी प्रकार की प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं करना चाहते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चाहा गया रास्ता को राजकीय कटणी रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 137 रकबा 1.29 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु राजस्व ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1414/118 रकबा 0.10 हैक्टर गै.मु. रास्ता को राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:05:02 IST
Reason: SelfAttested